न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 41/2021 जिला—सीकर।

बनवारी लाल पुत्र स्व0 गणपतराम जाति ब्रहामण निवासी ढाणी पटेला वाली ग्राम मण्डौली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2. आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्डौली जरिये संस्था प्रधान तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 14.07.2017 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित—

1. वकील अपीलांट् एड. श्री राजाराम चौधरी।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक—25.10.2021

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 14.07.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 31.08.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 14.07.2017 के द्वारा ग्राम मण्ढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 2.21 है0 किस्म चारागाह में से 2.00 है0 भूमि का आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्ढोली के विधालय भवन एवं खेल मैदान हेतु आंवटन किया गया।
3. न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.07.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाकर चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु दी गई भूमि खसरा नम्बर 668 रकबा 2.12 है0 के स्थान पर अन्य सिवायचक भूमि जो चारागाह से लगती हुई विवाद एवं कब्जा रहित है जिसे दिये जाने के आदेश प्रदान फरमाये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलव किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम मण्ढौली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 561 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.37 है0 कुल किता 4 रकबा 1.24 है0 सम्पूर्ण भूमि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 671 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 673 रकबा 4.80 है0 कुल किता 3 रकबा 4.82 है0 के सहकृषक नारायण पुत्र सेडूराम हिस्सा 1/2 बनवारी लाल पुत्र गणपतराम हिस्सा 1/2 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 561, 562, 563 व 564 के पूर्व की ओर तथा खसरा नम्बर 671, 672, 673 के उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर हाल खसरा नम्बर 668 रकबा 2.12 है0 गत खसरा नम्बर 1951/1 रकबा 2.12 है0 भूमि स्थित है। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रभाव में आने से पूर्व से अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के हक पूर्वाधिकारी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में संवत 2052 से 2077 खसरा परिवर्तनशील में अपीलार्थी की काश्त दर्ज है तथा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट एवं लगान एवं पेनल्टी रसीदो से अपीलार्थी का कब्जा काश्त स्पष्ट साबित होता है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आई.एल.आर सर्किल नीमकाथाना में आने वाली पंचायतो में उपलब्ध आवंटन योग्य भूमियो के संबंध में वर्ष 1999 में कैम्प का आयोजन कर आवंटन सलाहकार समिति का गठन कर बैठक आयोजित की गई है। विभिन्न ग्रामो में भूमिया आवंटित की गई जिसके अनुसार ग्राम मण्डौली स्थित गत खसरा नम्बर 1951/1 रकबा 2.12 है0 में से 1.00 है0 भूमि अपीलार्थी को भी आवंटित की गई अपीलार्थी आवंटित भूमि पर आवंटन पूर्व से ही काबिज था। आवंटन के पश्चात उपरोक्त भूमि पर रहवास हेतु पक्का मकान, मवेशी हेतु बाडा, टीनशेड तथा शेष भूमि पर काश्त हेतु बोरिंग कर विधुत कनेक्शन प्राप्त कर अपनी भूमि की सिचाई कर अपने परिवार का पालन पोषण निरन्तर करता चला आ रहा है। अपीलार्थी के आवंटन आदेश दिनांक 24.6.1999 के विरूद्ध आज दिनांक तक भी किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा कोई आपत्ति या चुनौति नही दी गई है। समस्त तथ्यो की जानकारी सरपंच ग्राम पंचायत मण्ढौली, तहसीलदार नीमकाथाना एवं उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को होने के पश्चात भी वर्ष 2017 में आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्ढौली को विधालय भवन एवं खेल मैदान हेतु चारागाह भूमि खसरा नम्बर 504 रकबा 2.21 है0 में से 2.00 है0 भूमि आवंटन करने की अभिषंशा के साथ चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु अपीलार्थी की आवंटित कब्जेशुदा भूमि गत खसरा नम्बर 1951/1 रकबा 2.12 है0 हाल खसरा नम्बर 668 रकबा 2.12 है0 को सिवायचक से चारागाह घोषित किये जाने की अभिषंशा कर बिना वास्तविक तथ्यो की जांच किये, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। विधि अुनसार चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु बदले में दी जाने वाली भूमि की अभिशंषा से पूर्व जांच जरिये पटवारी/तहसीलदार की जानी चाहिये ताकि क्षतिपूर्ति में दी जाने वाली भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके परन्तु उनके द्वारा कोई जांच रिपोर्ट तलब नही की गई। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश तथ्यो एवं कानून के विपरीत होने की वजह से निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलांट् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संवंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट् स्वीकार की अधीनरथ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 को अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाकर चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु दी गई भूमि खसरा नम्बर 668 रकबा 2.12 है0 के स्थान पर अन्य सिवायचक भूमि जो चारागाह से लगती हुई विवाद एवं कब्जा रहित है जिसे दिये जाने के आदेश पारित फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा ग्राम मण्ढौली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 2.21 है0 किस्म चारागाह में से 2.00 है0 भूमि आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्ढोली को आवंटन करने बाबत आवंटन प्रस्ताव, रिपोर्ट पटवारी हल्का मण्ढोली, नजरी नक्शा, मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी की प्रति एवं नगर पालिका नीमकाथाना तथा ग्राम पंचायत मण्ढोली का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर जिला कलक्टर सीकर को भिजवाये जाने पर जिला कलक्टर सीकर ने विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 पारित कर ग्राम मण्ढोली में स्थित खसरा नम्बर 504 रकबा 2.21 है0 किस्त चारागाह में से 2.00 है भूमि को आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्ढोली के विधालय भवन एवं खेल के मैदान हैतु राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओ एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र कमांक 4. 10(3) राज–6/2001/15 दिनांक 17.4.2013 के अनुसरण में आवंटित की गई थी। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार के प्रस्ताव एवं नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत के

Scanned by CamScanner

अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारीज की जावे ।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रधानाध्याक, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्डोली जिला सीकर के अनुरोध पर तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 1231 दिनांक 13.06.2017 एवं उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के पत्रांक 953 दिनांक 21.06.2017 के द्वारा नगर पालिका नीमकाथाना एवं ग्राम पंचायत मण्ढोली के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ग्राम मण्ढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 2.21 है0 किस्म चारागाह में से 2.00 है0 भूमि को आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्ढोली जिला सीकर के विधालय भवन व खेल मैदान हेतु आवंटन करने बाबत जिला कलक्टर सीकर को भिजवाया गया था जिस पर जिला कलक्टर सीकर ने विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 पारित कर ग्राम मण्ढोली में स्थित खसरा नम्बर 504 रकबा 2.21 है0 में से 2.00 है भूमि को आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्ढोली के विधालय भवन एवं खेल के मैदान हेतु राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओ एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक 4.10(3) राज–6/2001/15 दिनांक 17.4.2013 के अनुसरण के अनुसरण में आवंटित की गई है तथा उक्त चारागाह भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम मण्डोली के खसरा नम्बर 668 रकबा 2.12 है0 किस्त सिवायचक सम्पूर्ण को सिवायचक से चारागाह घोषित किया गया है।

8. हम समझते है कि उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना एवं तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा ग्राम मण्ढोली में स्थित खसरा नम्बर 504 रकबा 2.21 है0 किस्त चारागाह में से 2.00 है0 भूमि को आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मण्ढोली के विधालय भवन एवं खैल मैदान हेतु आवंटन प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है तथा उक्त चारागाह भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम मण्डोली के खसरा नम्बर 668 रकबा 2.12 है0 किस्त सिवायचक सम्पूर्ण को सिवायचक से चारागाह घोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/10/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner